हर इंसान-एक समान | एक राष्ट्र-एक जान | मेरा भारत महान

# समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय :जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website:www.samtaandolan.in Email :samtaandolan@yahoo.in

**माननीय श्री पानाचन्द जैन**
संरक्षक ( पूर्व न्यायाधिपति )

**माननीय श्री अशोक कुमार सिंह**
संरक्षक ( पूर्व मेजर जनरल )

**माननीय श्री भागीरथ शर्मा**
संरक्षक ( पूर्व आई. ए. एस. )

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. 098290-78682

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 094133-89665

राम निरंजन गौड़
महासचिव , मो. 094144-08499

ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष , मो. 094140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं
पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर
योगेन्द्र मेघसर
( मुख्य लेखाधिकारी )
मो. 9166494225

अजमेर
एन. के.झामड़
( अधिशासी अभियन्ता )
मो. 9414008416

बीकानेर
वाई. के. योगी
मो. 9414139621

भरतपुर
हेमराज गोयल
( सेवानिवृत अधिक्षण अभियन्ता )
मो. 9460926850

जोधपुर
प्रहलाद सिंह राठौड़
( पूर्व आर. ए. एस. )
मो. 9414085447

कोटा
दिलीप कुमार शुक्ला
मो. 9414063236

उदयपुर
दूल्हा सिंह चूण्डावत
( कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष - क्षत्रिय महासभा )
मो. 9571875488

जे. एस. राजावत
संरक्षक समता ज्योति ( मासिक-पत्र )
मो. 9314962106

क्रमांक

दिनांक : 16.08.2016

श्रीमान नरेन्द्र मोदी जी
प्रधानमंत्री, भारत सरकार
152 साउथ ब्लॉक, रायसिना हिल
नई दिल्ली– 110001

अपीलः– भारतीय संसद को कलंकित होने से बचाईए।
संन्दर्भः– पदोन्नति में आरक्षण का 117वॉ सविधान संशोधन।

महोदय,

विनय पूर्वक प्रार्थना है कि एक संसदीय पैनल द्वारा पदोन्नति में अविधिक, विभेदकारी एवं अन्यायपूर्ण जातिगत आरक्षण को असंवैधानिक रुप से संवैधानिक ठहराने के लिए 117वें संविधान संशोधन को लोकसभा में जल्दी पारित कराने की अनुशंषा कि गई है। यह संशोधन बिल राज्यसभा से दिसम्बर 2012 में पारित होने के बाद पूरे देश में हुए प्रबल विरोध के कारण लम्बित पडा है।

आप जानते है कि यह संविधान संशोधन बिलः–

1. सरकारी नौकरी पाकर आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रुप से सभी नागरिको के समान हो चुके अनुसूचित जाति और जनजाति के लोक सेवकों को काल्पनिक पिछडा **(Deemed backward)** घोषित करने के दुराशय से लाया जा रहा है ताकि उन्हें एवं उनकी संतति को लगातार बार–2 अनंतकाल तक आरक्षण का लाभ दिया जा सकें। इस अविधिक कृत्य से जहॉ आरक्षण से वंचित दलित वर्ग का पिछडापन दूर नहीं हो पा रहा है वहीं नौकरी पेशा सामान्य/ओबीसी वर्ग के निष्ठावान, कर्मठ लोकसेवकों का इस अन्याय के कारण हताश, निराश एवं कर्त्तव्य विमुख होना निश्चित है।
2. राज्यसभा में यह संविधान संशोधन बिल माननीय सर्वाच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा किहोटों होलोहन बनाम जचिलू एण्ड अदर्स **(1992 Supp.(2)SC 651)** के प्रकरण में दिये गये बाध्यकारी निर्देशें कि स्पष्ट अवेहलना करके राजनितिक दलों द्वारा जारि व्हिप के बल पर सांसदो की दबावपूर्ण सहमति लेकर पारित करवाया गया था।
3. राज्यसभा में यह संविधान संशोधन श्री अरुण जेटली द्वारा भाजपा संसदीय दल को गुमराह करने के कारण ही पारित हो पाया था।
4. यह संविधान संशोधन बिल समानता के मूल अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है तथा भारतीय संविधान की मूलभूत संरचना को तोडने वाला है।
5. यह संविधान संशोधन विधेयक प्रजातंत्र को नष्ट करने वाला है क्योंकि हम नागरिको ने जिन सांसदों को अपना मत देकर भारतीय संविधान के प्रावधानों के अधीन विधायन करने के लिए अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है, वो लोग हमारी इच्छा के विपरीत हमसे विश्वासघात करके हमसें पूछे बिना ये संविधान संशोधन करने का कुकृत्य करने जा रहें है।

( लगातार ---- 2 )

# समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय :जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website:www.samtaandolan.in Email :samtaandolan@yahoo.in

**माननीय श्री पानाचन्द जैन**
संरक्षक ( पूर्व न्यायाधिपति )

**माननीय श्री अशोक कुमार सिंह**
संरक्षक ( पूर्व मेजर जनरल )

**माननीय श्री भागीरथ शर्मा**
संरक्षक ( पूर्व आई. ए. एस. )

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. 098290-78682

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 094133-89665

राम निरंजन गौड़
महासचिव , मो. 094144-08499

ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष , मो. 094140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर
योगेन्द्र मेघसर
( मुख्य लेखाधिकारी )
मो. 9166494225

अजमेर
एन. के.झामड़
( अधिशासी अभियन्ता )
मो. 9414008416

बीकानेर
वाई. के. योगी
मो. 9414139621

भरतपुर
हेमराज गोयल
( सेवानिवृत अधिक्षण अभियन्ता )
मो. 9460926850

जोधपुर
प्रहलाद सिंह राठौड़
( पूर्व आर. ए. एस. )
मो. 9414085447

कोटा
दिलीप कुमार शुक्ला
मो. 9414063236

उदयपुर
दूल्हा सिंह चूण्डावत
( कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष- क्षत्रिय महासभा )
मो. 9571875488

जे. एस. राजावत
संरक्षक समता ज्योति ( मासिक-पत्र )
मो. 9314962106


क्रमांक दिनांक :



6. यह संविधान संशोधन बिल केन्द्र एवं राज्य सरकारों की नौकरी पाकर अबतक सम्पन्न हो चुके केवल 1.50 करोड, अनुसूचित जाति/जनजाति की स्वार्थपरक लॉबी ( जो अब दलितों के अधिकारों की शोषक बन चुकि है) के दवाब में आकर देश के 130 करोड सामान्य, ओबीसी एवं वंचित दलित नागरिकों के साथ अन्याय करने वाला है, उनके नागरिक अधिकारों को छीनने वाला है।
7. यह संविधान संशोधन बिल शासन, प्रशासन और राजनीति में समरसता, सदभाव व भाईचारा मिटाकर जातिवाद को बढानें वाला है, वैमनस्य और कटुता को बढाकर देश को गृहयुद्व की ओर धकेलने वाला है।
8. यह सर्वविदित तथ्य है कि तत्कालीन महान्यायवादी **(Attorney General)** ने केन्द्र सरकार को यह विधिक राय दी थी की उपरोक्त संविधान संशोधन न्यायिक पुनरीक्षण **(Judicial Review)** में टिक नही पायेगा और निश्चित रुप से निरस्त कर दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार जो संविधान संशोधन सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक रुप से अगडे लोकसेवकों पर अविधिक रुप से काल्पनिक पिछडापन थोपने वाला हो, सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय का उल्लंघन करने वाला हो, सांसदों को गुमराह करके या व्हिप के दबाव में लेकर ली गयी सहमति पर आधारित हो, समानता के मूल अधिकार के विरुद्व हो, सविधान की मूलभूत सरंचना को तोडने वाला हो, प्रजातंत्र को नष्ट करने वाला हो, देश के मतदाताओं से विश्वासघात करनें वाला हो, एक प्रतिशत सम्पन्न आरक्षित वर्ग के दबाव में आकर 99 प्रतिशत नागरिकों के अधिकार छीननें वाला हो, देश को जातिगत गृहयुद्व की ओर धकेलने वाला हों तथा जिसको न्यायपालिका द्वारा निरस्त किया जाना पूर्व निर्धारित हो, ऐसे संविधान संशोधन को पारित करने से भारतीय संसद का कलंकित होना तय है। देश और पूरे विश्व में भारतीय संसद और सांसदो का लज्जित होना तथा उपहासित होना तय है।

अतः आपसे करबद्व प्रार्थना है कि संविधान की रक्षा के लिए, देश को सन्निकट गृहयुद्व से बचाने के लिए, भारतीय संसद की गरिमा को बचानें के लिए देश के 130 करोड नागरिको के अधिकारों की रक्षा के लिए कृपया अपने राष्ट्रवादी होने का परिचय देते हुए आपके विशेष अधिकारों का प्रयोग करें तथा उपरोक्त अविधिक, असंवैधानिक व अन्यायपूर्ण 117वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित होने से रोके तथा जिस संसदीय पैनल के जातिवादी सांसदो ने इसे शीघ्र पारित कराने की अभिशंषा की है उनकी संसद सदस्यता निरस्त करके उनके विरुद्व देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करवाये जाने की कार्यवाही कर अनुगृहीत करें। सादर

भवदीय,

(पाराशर नारायण शर्मा)
अध्यक्ष